शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक-40 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 9-16 अक्तूबर 2023 मूल्य पांच रूपये

सी.बी.आई. की याचिका हुई अस्वीकार आरोप तय होने पर पहुंचा चिदम्बरम मामला

प्रबोध सक्सेना भी हैं इसमें सह अभियुक्त

- यदि सक्सेना पर आरोप तय हो जाते हैं तो क्या सुक्खु उन्हें पद से हटा पायेंगे।
- इस मामले में जल्द आरोप तय होने की संभावना है क्योंकि तीन वर्षो से इसी प्री चार्ज स्टेज पर है यह मामला

शिमला/शैल। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम और अन्य 14 के खिलाफ 15-5-2017 को सी.बी.आई. में दर्ज हुआ मामला अब अदालत में आरोप तय होने के कगार पर पहुंच गया है। इस मामले में हिमाचल के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी सह अभियुक्त हैं। जिस समय 2007 में आई.एन.एक्स. मीडिया को 305 करोड़ का विदेशी निवेश लेने की अनुमति वित्त मंत्रालय द्वारा दी गयी थी उस समय प्रबोध सक्सेना भी विदेशी निवेश संबर्द्धन बोर्ड में तैनात थे। इसलिए वित्त मन्त्री के साथ इस कार्यालय में तैनात कुछ कर्मचारियों/अधिकारियों को भी इस मामले में सीबीआई ने सह अभियुक्त बना रखा है। 2017 में दर्ज हुये इस मामले में सी.बी.आई. अदालत में आरोप पत्र दायर कर चुकी है। लेकिन इसमें आरोप तय होने से पूर्व ही कीर्ति चिदम्बरम ने सी.बी.आई. द्वारा संज्ञान में लिये गये दस्तावेजों का अवलोकन करने की गुहार अदालत से लगा दी। मार्च 2021 में सी.बी.आई. अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुये दस्तावेजों के अवलोकन की अनुमति दे दी। सी.बी.आई. ने इसका विरोध करते हुये दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नवम्बर 21 को सी.बी.आई. की अपील को खारिज कर दिया। इस पर सी.बी.आई. सर्वोच्च न्यायालय में चली गयी और जुलाई 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी सी.बी.आई. की याचिका को अस्वीकार कर दिया। इस तरह यह मामला फिर सी.बी.आई. के ट्रायल कोर्ट में पहुंच गया और इसमें आरोप बनते हैं या नहीं इस पर बहस होनी है। यह है सुप्रीम कोर्ट का फैसला We find no reason to interfere with the impugned order passed by the High Court. The Special Leave Petition is, accordingly, dismissed.

Pending interlocutory application(s) is/are disposed of.

पी. चिदम्बरम कांग्रेस के बड़े नेता हैं और इस समय देश की राजनीति जिस तर्ज पर चल रही है उसको देखते हुये इस मामले की अहमियत बढ़ जाती है। माना जा रहा है कि इस मामले को इतना लम्बा भी अदालत में के माध्यम से राजनीतिक उद्देश्यों के लिये ही किया गया है ताकि चुनाव में कांग्रेस नेताओं को भ्रष्ट प्रचारित करने के लिये इसका उपयोग किया जा सके। ऐसे में यदि इस मामले में आरोप तय हो जाते हैं तो इसका प्रभाव हिमाचल के प्रशासन और राजनीति पर भी पड़ेगा। क्योंकि प्रबोध सक्सेना भी इसमें सह अभियुक्त है यदि उनके खिलाफ आरोप तय हो जाते हैं तब भी क्या मुख्यमंत्री उन्हें अपना मुख्य सचिव बनाये रखते हैं या नहीं। यह सवाल इसलिये अहम हो जाता है की सुक्खु सरकार ने चार वरिष्ठों को नजरअंदाज करके सक्सेना को पदोनित किया था।

जबकि प्रदेश की जिस वित्तीय स्थिति पर यह सरकार श्वेत पत्र लेकर आयी है उसमें अधिकांश समय तक सक्सेना ही प्रदेश के वित्त सचिव रहे हैं। सक्सेना सुक्खु के विश्वसनीय अधिकारी हैं यह तो एक समय वायरल हुये व्हाट्सएप मैसेज से भी स्पष्ट हो गया था। इसलिये आज सक्सेना के स्थान पर किसी दूसरे को नियुक्त कर पाना सुक्खु के लिये सहज नहीं माना जा रहा है।

क्या उपमुख्यमंत्री को राहत मिलेगी

एन.के.शर्मा बनाम देवी लाल मामले से उठी चर्चा

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री और मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। इस मामले में उप-मुख्यमंत्री ने उनका नाम प्रतिवादियों की सूची से हटाने का आग्रह अदालत से किया हुआ है। उनके आग्रह पर बहस पूरी होने के बाद यह मामला फैसले के लिये रिजर्व कर दिया गया है। अब 4 नवम्बर को यह फैसला आयेगा। इस फैसले पर पूरे प्रदेश की निगाहें लगी हुई हैं। क्योंकि यह मामला भाजपा विधायकों द्वारा उठाया गया है। जबकि इस समय देश के विभिन्न राज्यों में 16 उप-मुख्यमंत्री पदस्थ हैं और अधिकांश भाजपा शासित राज्यों से ही हैं। स्मरणीय है कि उप-मुख्यमंत्री का पद ब्रिटिश काल से ही चला आ रहा है। बिहार में अनुराग नारायण सिन्हा 1937 से 1939 और फिर 1946 से 52 तक उप-मुख्यमंत्री रहे हैं। वैसे संविधान में उप-मुख्यमंत्री या उप-प्रधानमंत्री परिभाषित नहीं है। यह विवाद स्व.विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्री काल में विवाद में आया था। उस समय जब राष्ट्रपति वेंकटरमन देवीलाल को पद की शपथ दिलाते स्वयं मंत्री शब्द का उच्चारण करें तो देवीलाल उप-प्रधानमंत्री शब्द का उच्चारण करें। उस समय एक एन.के.शर्मा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गये थे। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की पीठ ने उस समय यह व्याख्या दी है कि **That the oath should be viewed in two parts descriptive and substantial while the designation as Deputy Prime Minister is only descriptive the oath of office and secrecy which he (Devi Lal) under took is substantive and consequently does not vitiate the oath.** सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के संद्धर्भ में उप-मुख्यमंत्री के मामले में क्या फैसला आता है यह देखना रोचक होगा। क्योंकि हरियाणा में जब दुष्यन्त चौटाला को उप-मुख्यमंत्री बनाया गया था तब वह मामला भी अदालत में पहुंचा था और चौटाला को एन.के.शर्मा बनाम देवी लाल मामले के आधार पर ही राहत मिली थी। इस परिदृश्य में माना जा रहा है कि इस मामले में भी राहत मिल जाएगी।

मुख्यमंत्री ने जुगा में किया शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल का शुभारंभ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के जुन्गा में आयोजित शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ऐसे आयोजनों से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवसर उपलब्ध होते हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला का बीड़-बिलिंग क्षेत्र पैराग्लाइडिंग के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। प्रदेश सरकार हिमाचल के वातावरण के अनुकूल हरित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, जिसमें पर्यटन भी शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए व्यापक योजना तैयार की है। कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा के साथ ही अन्य अनछुए गंतव्यों को विकसित किया जाएगा। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने में इस तरह के आयोजन सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा के साथ ही उन्हें विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार कृतसंकल्प है। आपदा से उबरने के साथ ही हिमाचल पुनः पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है।

कार्यक्रम का आयोजन 'द ग्लाइड इन' कंपनी और पर्यटन विभाग मिलकर कर रहे हैं। 'द ग्लाइड इन' कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण रावत ने उत्सव के बारे में विस्तृत जानकारी दी। चार दिन तक चलने वाले इस उत्सव में देश-विदेश के 51 पैराग्लाइडर्स भाग ले रहे हैं। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की।

प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम अमित कश्यप ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार गोकुल बुटेल, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, ओएसडी रितेश कपरेट और गोपाल शर्मा तथा अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे।

आरकेएमवी की छात्राओं ने राज भवन का दौरा किया

शिमला/शैल। राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला की यूथ रेडक्रॉस वाईआरसी की छात्राओं ने राज भवन का दौरा किया और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से संवाद किया। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उपस्थित रहीं। इन छात्राओं ने राज्यपाल के साथ अपने अनुभव साझा किये और राज भवन को आम जनता के लिए खोलने पर उनके प्रति आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने छात्रों को भारत के गौरवशाली इतिहास से अवगत करवाया और कहा कि भारत ने गुलामी का दंश झेला है। उन्होंने कहा, बार्नस कोर्ट की यह इमारत, जो कभी अंग्रेजों के अधीन थी, आज आम लोगों के लिए एक विरासत भवन है, जहां वे आसानी से भ्रमण कर सकते हैं। उन्होंने कहा, बच्चों से मिलना वास्तव में उनके लिए एक अनमोल समय है।

राज्यपाल ने छात्राओं को यूथ रेडक्रॉस से एनएसएस तथा एनसीसी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इन संगठनों से जुड़कर अनुशासन और सेवा भावना का विकास होता है। उन्होंने कहा कि आज रेडक्रॉस प्रदेश में अपना विस्तार कर रहा है और यह मानव सेवा को समर्पित संस्था है।

उन्होंने राज भवन भ्रमण के दौरान रास्ते में छात्राओं द्वारा किए गए स्वच्छता अभियान पर भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिये गये स्वच्छता के नारे को युवाओं ने बखूबी अपनाया है।

इससे पहले महाविद्यालय के प्राचार्य डा. गोपाल चौहान एवं इतिहास की प्रोफेसर अनुरीता सक्सेना ने महाविद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की ओर से राज्य रेडक्रॉस के लिए एकत्रित 21,500 रुपये का चेक राज्यपाल को भेंट किया।

इस अवसर पर अनुरिता सक्सेना ने राज्यपाल का स्वागत किया और कॉलेज में संचालित यूथ रेडक्रॉस गतिविधियों की जानकारी प्रदान की।

वन विभाग को ट्रैकिंग रूट्स अधिसूचित करने के निर्देश:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा ट्रैकिंग के शौकीनों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ठोस कदम उठा रही है। ट्रैकर्स के लापता होने की घटनाओं को कम करने के दृष्टिगत राज्य सरकार एक नई पहल करने जा रही है। ट्रैकर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स अधिसूचित करने के निर्देश दिए गए हैं।

वन विभाग पहली बार मौसम की परिस्थितियों के अनुरूप तथा उस रूट पर उपलब्ध ठहरने तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह ट्रैकिंग रूट्स अधिसूचित करेगा। विभाग इन रूट्स को ईको-टूरिज्म सोसाइटी के माध्यम से ट्रैकर्स को एक पैकेज के रूप में पेश करेगा, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और बेहतर सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। पैकेज में ट्रैकिंग रूट से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्रे ने कहा ''ट्रैकर्स कई बार रूट पर जाकर भटक जाते हैं और उनके साथ अनहोनी घटनाएं भी सामने आती रहीं हैं। उन्हें ढूंढने के लिए राज्य सरकार को बचाव अभियान चलाने पड़ते हैं, जिसमें काफी संसाधन लगते हैं। ऐसे में वन विभाग ट्रैकर्स की सुविधा को देखते हुए इन रूट्स को अधिसूचित करेगा, जिससे ट्रैकर्स की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी।''

ट्रैकिंग पर जाने से पहले इच्छुक व्यक्ति को पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। उन्हें अनिवार्य रूप से ट्रैकिंग डिवाइस दिए जाएंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उनकी भौगोलिक स्थिति का पता लगाने में आसानी हो और उन्हें समय पर मदद पहुंचाई जा सके। वन विभाग ट्रैकर्स को गाइड की भी सुविधा उपलब्ध करवाएगा। इन गाइड्स का भी पंजीकरण किया जाएगा और वन विभाग उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में पर्यटन की मुख्य भूमिका है इससे राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, वहीं हजारों परिवारों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। ऐसे में राज्य सरकार प्रदेश में धार्मिक, साहसिक तथा ईको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने प्रतिवर्ष प्रदेश में 5 करोड़ पर्यटकों के आगमन का लक्ष्य रखा है तथा इसी के अनुरूप आधारभूत सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं।

सरकार ने सहकारी क्षेत्र में शुरू की 40 नई योजनाएं

शिमला/शैल। सहकारिता सचिव सी. पालरासु ने बताया कि प्रदेश के सहकारिता विभाग ने राज्य की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए नई पहल की हैं। इसके अन्तर्गत हिमाचल ने भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर, सहकारी क्षेत्र में लगभग 40 नई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य राज्य के सहकारी क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाना है।

उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य सहकारी समितियों के उपनियमों से लेकर व्यवसाय विविधीकरण तक की संपूर्ण संरचना में संशोधन करना है। इसके दृष्टिगत जन औषधि केंद्रों के रूप में शामिल प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद सस्ती दरों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। राज्य में लगभग 50 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों ने जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि सामान्य सेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर योजना के रूप में यह समितियां लोकमित्र केंद्रों के रूप में कार्य करेंगी, जो ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्र समयबध और सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाएगी। इन केंद्रों के माध्यम से टेली-लॉ और टेली-मेडिसिन जैसी विभिन्न सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में 80 से अधिक अधिक समितियां कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए एलपीजी और पैट्रोल पंप खुदरा लाइसेंस भी खोले गए हैं। पालमपुर की एक सोसायटी ने भी इस योजना के अन्तर्गत आवेदन किया है और अगले 10 दिनों के भीतर कई अन्य सोसायटी द्वारा आवेदन करने की उम्मीद है। राज्य में अधिकांश सभाओं द्वारा आदर्श उपनियमों को भी अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को कम्प्यूटरीकृत करने की दिशा में कार्य कर रहा है। अगले 2 महीने के भीतर हार्डवेयर की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी और सभी चिन्हित सोसायटियों को उनके दैनिक कारोबार के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाएं जाएंगे।

उन्होंने कहा कि अनाज भंडारण कार्यक्रम में जिला ऊना की एक सोसायटी की पहचान की गई है और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश में लगभग 1300 समितियां प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में कार्य कर रही हैं। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में जिला सहकारी विकास समिति की बैठकें आयोजित की गई हैं जिसमें विभिन्न विभाग सहकारी क्षेत्र के विभिन्न मामलों को सुलझाते हैं।

उन्होंने राज्य की सभी प्राथमिक समितियों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी जैविक समिति लिमिटेड और भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में आगे आने की अपील की है।

सांसद प्रतिभा सिंह ने फुल यात्रा पांगी उत्सव का किया शुभारंभ

शिमला/शैल। सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने फुलयात्रा पांगी उत्सव का विधिवत शुभारंभ किया।

प्रतिभा सिंह ने फुलयात्रा पांगी उत्सव की बधाई देते हुए कहा कि पांगी घाटी बहुत ही रमणीक है और यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं है। उन्होंने यह भी कहा कि पांगी घाटी के पारंपरिक व्यंजन और उत्पाद को उजागर करने के लिए विशेष कार्य योजना के तहत आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेले व उत्सव लोक संस्कृति के परिचायक होते हैं। मेले और त्योहारों से आपसी भाईचारा बढ़ने के साथ-साथ क्षेत्र की पारंपरिक संस्कृति की झलक देखने को भी मिलती है।

सांसद ने किलाड़ के खेल मैदान को विकसित करने के लिए सांसद निधि से 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की।

उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास उनकी विशेष प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि पांगी घाटी में सड़क सुविधा व मोबाइल नेटवर्क सुविधा को सु ढ़ किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि पांगी घाटी में चेहनी पास के लिए सुरंग के निर्माण का मामला प्रदेश सरकार से प्रमुखता से उठाया जाएगा। उन्होंने किलाड़ की सड़क की बेहतर बनाने के लिए सीमा सड़क संगठन से बातचीत करने का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने स्थानीय लोगों से यह भी आ}वान किया कि प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं।

फूल यात्र मेले के दौरान पूर्व वन मंत्रे ठाकुर सिंह भरमौरी,जनरल सेक्टरी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अमित पाल, आवासीय आयुद्र पांगी रितिका जिंदल, एसडीएम पांगी रमन घरसंगी, तहसीलदार पांगी शांता कुमार, बीडीओ पांगी सुरजीत मेहता,फूलयात्र मेला कमेटी के अध्यक्ष केदार राणा, उपाध्यक्ष सतीश शर्मा व अन्य गणमान्य मौजूद रहे।

जनजातीय सलाहकार समिति के सदस्यों ने राज्यपाल से भेंट की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से राजभवन में राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी के नेतृत्व में जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण और विकास से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने उनकी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और उचित मंच पर रखने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में जिला किन्नौर के प्रवास के दौरान स्थानीय निवासियों के साथ विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रायोजित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का लाभ सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों को मिल रहा है। इस अवसर पर लाहौल-स्पीति के विधायक रवि ठाकुर भी उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

प्रदेश में 30 नवंबर तक बनेगा प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य पहचान–पत्रः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल, शिमला के वार्षिक कार्यक्रम 'स्टिमुलस' के समापन कार्यक्रम की

अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक राज्य में प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य पहचान-पत्र (हेल्थ आईडी कार्ड) तैयार कर लिया जाएगा, जिसमें मरीज की स्वास्थ्य सम्बंधी पूरी जानकारी होगी। यह चार दिवसीय कार्यक्रम 'स्टिमुलस' 10 अक्तूबर से 13 अक्तूबर तक आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव ला रही है। आईजीएमसी शिमला में आगामी एक वर्ष में उच्च स्तरीय अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए मेडिकल कॉलेजों में डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसन स्थापित किया जा रहा है। सुपर स्पेशएलिटी अस्पताल चमयाणा और आईजीएमसी शिमला में रोबोटिक सर्जरी शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि कैंसर जैसी गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिए प्रदेश सरकार पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है और आधुनिक उपकरण भी स्थापित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आईजीएमसी शिमला की एससीए को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार भी वितरित किये। इस अवसर पर आईजीएमसी के डॉक्टरों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष में 6.11 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्रे ने 15 से 17 मार्च, 2024 तक मनाली में आयोजित होने वाली वार्षिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन का पोस्टर भी जारी किया।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने युवाओं को नशे से दूर रहने की नसीहत देते हुए कहा कि यह हमारे सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है। नशे के कारण समाज में नई तरह की मुश्किलें सामने आ रही हैं। उन्होंने आईजीएमसी के स्थापना दिवस पर भी बधाई दी।

एशियन खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को 15–15 लाख रुपये प्रदान करेगी प्रदेश सरकारः विक्रमादित्य सिंह

शिमला/शैल। युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार हिमाचल की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कृत संकल्प है। हाल ही में चीन के हवांगझाऊ में आयोजित एशियन खेलों के पदक विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को सरकार द्वारा लगभग एक करोड़ रुपये के नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि 29 सितम्बर से 8 अक्तूबर, 2023 तक आयोजित एशियन खेलों में हिमाचल के छः खिलाड़ी पदक विजेताओं में शामिल रहे जबकि सात अन्य खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। उन्होंने कहा कि कबड्डी महिला वर्ग में सिरमौर जिला की रितु नेगी, पुष्पा और कुमारी सुषमा, बिलासपुर की कुमारी निधि शर्मा, सोलन की कुमारी ज्योती तथा कबड्डी पुरूष वर्ग में ऊना जिला के विशाल भारद्वाज स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। इन सभी छः खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त बिलासपुर जिला की दीक्षा कुमारी, प्रियंका ठाकुर व शालिनी ठाकुर, सोलन जिला की निधि शर्मा, मिताली शर्मा, भावना एवं मेनका ने हैंडबॉल खेल स्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व किया। इन सभी सात खिलाड़ियों को एक-एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इसके अतिरिक्त युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा वर्ष 2022 में राष्ट्र मंडल खेलों में पदक जीतने वाले तीन खिलाड़ियों रेणुका ठाकुर, विकास ठाकुर तथा आशीष कुमार को पुरस्कार स्वरूप 63 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार हिमाचलःसुन्दर सिंह ठाकुर

शिमला/शैल। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव-2023 तथा भारत अंतरराष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत उत्सव के 9वें संस्करण के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में एक पूर्वावलोकन कार्यक्रम का

आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार और भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य संसदीय सचिव एवं अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा आयोजन समिति के अध्यक्ष सुन्दर सिंह ठाकुर ने दशहरा उत्सव पर एक टीज़र जारी कर एक पुस्तिका का भी विमोचन किया।

इस अवसर पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में सुन्दर सिंह ठाकुर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 17वीं शताब्दी से आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष 24 से 30 अक्तूबर तक यह उत्सव आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रघुनाथ जी की रथयात्रा के साथ इस उत्सव का आगाज होता है और इसमें 300 से अधिक स्थानीय देवी-देवता भाग लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दशहरा उत्सव में 25 अक्तूबर को अंतरराष्ट्रीय कार्निवल तथा 30 अक्तूबर को कुल्लू कार्निवल भी आकर्षण के मुख्य केन्द्र होंगे।

उन्होंने कहा कि कुल्लू दशहरा में इस बार अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 20 देशों के प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें रूस, रोमानिया, कजाकिस्तान, क्रोएशिया, वियतनाम, थाईलैंड, ताइवान, पनामा, ईरान, मालदीव, मलेशिया, केन्या, दक्षिणी सुडान, जाम्बिया, घाना और इथोपिया इत्यादि देशों से कलाकार शामिल हैं।

सुन्दर सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार दशहरा उत्सव को एक वैश्विक आयोजन बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि चण्डीगढ़ से कल्लू तक सड़क मार्ग से यात्रा के समय में लगभग दो घण्टे की अवधि कम हुई है और चार घण्टे में यह सफर तय किया जा सकता है। इस मार्ग में 15 में से 13 यातायात सुरंगें वाहनों के लिए खुल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए दिल्ली, चण्डीगढ़ और अमृतसर से कुल्लू तक हवाई सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद की उप-महानिदेशक अनु रंजन ने कुल्लू दशहरा उत्सव में सांस्कृतिक दलों की उपलब्धता सहित परिषद की ओर से अन्य सहयोग के बारे में जानकारी प्रदान की।

सहायक उपायुक्त कुल्लू शशिपाल नेगी ने मेहमानों का स्वागत किया और कुल्लू दशहरा उत्सव के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

इस अवसर पर विभिन्न दूतावासों के प्रतिनिधि, दिल्ली में राज्य सरकार की सलाहकार नंदिता गुप्ता, प्रधान आवासीय आयुक्त सुशील कुमार सिंगला सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर के साथ शारदीय नवरात्रि के अवसर पर शिमला के तारा देवी मन्दिर में पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने मन्दिर परिसर का अवलोकन भी किया और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इसमें और सुधार करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने तारा देवी सड़क मार्ग को चौड़ा करने और इसमें सुधार के लिए 50 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मूलभूत सुविधाएं और अधोसंरचना का विकास किया जायेगा।

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, महाधिवक्ता अनूप रतन, मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. रितेश कपरेट, हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेन्द्र श्याम, पूर्व विधायक हरभजन भज्जी, अधोसंरचना सलाहकार अनिल कपिल और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कोविड के दौरान बने केस वापस लेने के दिए निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न प्रतिबंधों की अवहेलना पर दर्ज मामलों को वापस लेकर लोगों को राहत देने जा रही है। डीसी-एसपी सम्मेलन के दौरान इस संबंध में उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि कोविड का समय सबके लिए मुश्किल भरा रहा और इस महामारी को नियंत्रित करने तथा इससे बचाव के लिए आम लोगों पर कई प्रकार की पाबंदियां लगाई गई थीं। इस दौरान नियमों की अवहेलना को लेकर सैंकड़ों केस दर्ज किए गए। वर्तमान राज्य सरकार अब मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए यह केस वापस लेगी। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान बने केस वापस लेकर राज्य सरकार आम लोगों को राहत पहुंचाएगी।

आरडब्ल्यूबीसीआईएस योजना से राज्य के बागवान होंगे लाभान्वितःबागवानी मंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों-बागवानों को लाभान्वित करने के निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) प्रदेश के बागवानों के लिए वरदान

साबित होगी।

यह बात बागवानी मंत्रे जगत सिंह नेगी ने उद्यान विभाग और विभिन्न बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ आरडब्ल्यूबीसीआईएस की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि योजना वास्तविक आधार पर होनी चाहिए। राज्य में बागवान फलों की खेती में उच्च घनत्व वाले पौधों की ओर रुख कर रहे हैं। वर्तमान टर्म शीट मानक पौधों के अनुसार बनाई गई है लेकिन इसे उच्च घनत्व वाले पौधों के लिए अद्यतन किया जाना चाहिए। ताकि, बागवानों को वास्तविक समय और परिस्थितियों के अनुसार योजना के तहत लाभ प्रदान किया जा सके। दावों को प्रमाणित करने के लिए किसानों को मौसम आधारित डेटा भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि उद्यान विभाग को शीघ्र टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस योजना से बागवानों को उनकी फलों की फसल को मौसम से होने वाले नुकसान से सुरक्षा मिलेगी। राज्य में तीन क्लस्टर हैं और प्रत्येक क्लस्टर में योजना के तहत चार जिले शामिल हैं। योजना में पहली बार अनार, लीची और अमरूद की फसल शामिल की जाएंगी।

निदेशक उद्यान संदीप कदम, हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना के निदेशक देवेन्द्र ठाकुर, संयुक्त निदेशक उद्यान हेम चंद शर्मा, उद्यान विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, प्रबंधक एचडीएफसी ईजीआरओ जीआईसी पार्थ शर्मा, प्रबंधक (विपणन) इफको-टोकियो जीआईसी अंकुश गुप्ता, प्रबंधक एआईसी जी.जी. राजू, राज्य प्रबंधक एसबीआई-जीआईसी सुप्रिया धोटा और राज्य समन्वयक क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड अरुण कुमार बैठक में उपस्थित थे।

सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। स्वयं पर विश्वास करो।

..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

वक्त की जरूरत है जातिगत जनगणना

जातिगत जनगणना इस समय का सबसे बड़ा चुनावी और राजनीतिक मुद्दा बनता नजर आ रहा है। क्योंकि देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस इस पर अलग – अलग राय रख रहे हैं। भाजपा इस गणना को हिन्दू समाज को तोड़ने का प्रयास करार दे रही है। वहीं पर कांग्रेस इसे वक्त की जरूरत बताकर कांग्रेस शासित सभी राज्यों में यह गणना करवाने और उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण करवाने का भी ऐलान कर चुकी है। जाति प्रथा शायद हिन्दू धर्म के अतिरिक्त और किसी भी धर्म में नहीं है। हिन्दू धर्म में तो जातियों की श्रेष्ठता छुआछूत तक जा पहुंची है। नीच जाति के व्यक्ति के छुने भाव से ही बड़ी जाति वाले का धर्म भ्रष्ट हो जाता रहा है। आज भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पर हिन्दुओं के मंदिरों में नीच जाति वालों का प्रवेश वर्जित है। कई मंत्री और राष्ट्रपति तक इस वर्जनों का दंश झेल चुके हैं। जबकि कानूनन छुआछूत दण्डनीय अपराध घोषित है। लेकिन व्यवहार में यह जातिगत वर्जनाएं आज भी मौजूद हैं। जातिगत असमानताएं हिन्दू समाज का एक भयानक कड़वा सच रहा है। इसी कड़वे सच के कारण आजादी के बाद 1953 में ही काका कालेलकर आयोग का गठन इन जातियों को मुख्य धारा में लाने के उपाय सुझाने के लिये किया गया था और तब एस.सी. और एस.टी. के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। मण्डल आयोग में अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण का प्रावधान किया गया। आर्थिक पिछड़ेपन को भी आरक्षण का आधार बनाया गया। लेकिन इन सारे प्रावधानों का व्यवहारिक रूप से आरक्षित वर्गो पर क्या प्रभाव पड़ा इसके सर्वेक्षण के लिये आज तक कुछ नहीं किया गया। इन आरक्षित वर्गो के ही अति पिछड़े कितने मुख्यधारा में आ पाये हैं इसके कोई स्टीक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इसलिए आज जातिगत जनगणना इस समय की आवश्यकता बन गयी है और यह हो जानी चाहिये।

जहां तक इस गणना से हिन्दू समाज में विभाजन होने का आरोप लगाया जा रहा है वह अपने में ही निराधार है। क्योंकि हिन्दू समाज उच्च वर्गो का ही एक अधिकार नहीं है। पिछले दिनों जब हिन्दू धर्म में व्याप्त मठाधिशता पर कुछ तीखे सवाल आये तब उसे सनातन पर प्रहार के रूप में क्यों देखा गया? इसका तीव्र विरोध करने का आवहान क्यों किया गया? तब धर्म में फैले ब्राह्मणवाद के एकाधिकार पर उठते सवालों से बौखलाहट क्यों फैली? क्या बड़े – बड़े मंदिरों के निर्माण से ही समाज से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई से निजात मिल पायेगी? शायद नहीं? बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि ऐसे मंदिरवादी प्रयोगों से ही धर्म का ज्यादा ह्रास हो रहा है। नई पीढ़ी को इन भव्य मंदिरों के माध्यम से धर्म से बांधकर रखने के प्रयास फलीभूत नहीं होंगे।

जो लोग इस गणना को चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं और इस प्रयोग को हिन्दुओं को विभाजित करने का प्रयास मान रहे हैं उन्हें यह समझना होगा कि यह तर्क किन लोगों की तरफ से आ रहा है? भारत बहु धर्मी बहु जाति और बहु भाषी देश है। इसमें देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने का प्रयास कौन लोग कर रहे हैं? कौन लोग मनुस्मृति को स्कूली पाठयक्रम का हिस्सा बनाने की वकालत कर रहे हैं? कौन लोग आज देश के मुस्लिम समाज को संसद और विधान सभाओं से बाहर रखने का प्रयास कर रहे हैं? क्या ऐसे प्रयासों से पूरा देश कमजोर नहीं हो रहा है? इंडिया से भारत शब्दों के बदलाव से ही नहीं बना जायेगा। उसके लिये **''वसुधैव कुटुम्बकम''** की अवधारणा पर व्यवहारिक रूप से आचरण करना होगा। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्दों को हटाने की मानसिकता ने देश में जातिगत जनगणना की आवश्यकता को जन्म दिया है। इस वस्तु स्थिति में यह जनगणना पहली आवश्यकता बन गयी है ताकि यह पता चल सके कि किसके पास कितने संसाधन पहुंचे हैं? देश की शासन – प्रशासन व्यवस्था में किसकी कितनी भागीदारी हो पायी है।

तुर्कीय सरकार ने नियंत्रण में है बीआईपी, भारतीयों के लिए सुरक्षित नहीं है यह सोशल मीडिया मैसेंजर ऐप

गौतम चौधरी

व्हाट्सएप ने हाल ही में उनकी सेवा का उपयोग करने वाले या अन्य प्रकार के इंटरनेट डेटा के उपयोगकर्ता को डेटा प्रबंधन करने के तरीके में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस बदलाव के तहत सोशल मीडिया कंपनी व्हाट्सएप अब अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय खाता होने नई गोपनीयता नीति को स्वीकार करता है तो उसके डेटा के एक हिस्से को फेसबुक के साथ साझा किया जायेगा। व्हाट्सएप की घोषणा के बाद व्हाट्सएप को दुनिया भर में उसके उपयोगकर्ताओं द्वारा भारी विरोध किया गया। सोशल मीडिया पर गंभीर नाराजगी के बीच, कई उपयोगकर्ता व्हाट्सएप को छोड़ने का फैसला किया और टेलीग्राम, सिग्नल और बीआईपी सहित अन्य वैकल्पिक मैसेजिंग एप्प में स्थानांतरित हो गए। वे सभी वैकल्पिक मैसेजिंग एप्प समान सुविधाएँ और कार्यक्षमता प्रदान करते हैं।

बीआईपी एप्प एक ऐसा एप्लिकेशन सॉफटवेयर है जो अपने दोस्तों और परिवार को संदेशों को भेजने और सक्रिय कॉल करने में मदद करता है। बीआईपी ऐप खुद को एक सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध संचार मंच के रूप में पेश किया है। लेकिन हमें इस ऐप को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह ऐप एक ऐसे देश के स्वामित्व वाली कंपनी का हिस्सा है, जो भारत के लिए सदा संदिग्ध रहा है। दरअसल, बीआईपी एप्लीकेशन, तुर्की के एक प्रमुख मोबाइल ऑपरेटर द्वारा विकसित किया गया है। तुर्की भारत को लेकर लगातार नकारात्मक ब्यान देता रहा है। जबकि तुर्की के लिए पाकिस्तान अहम है। तुर्की जिसका अभी हाल ही में नाम बदल कर तुर्कीय कर दिया गया है, एक कट्टर इस्लामिक व्यवस्था वाले देश के रूप में विकसित हो रहा है। तुर्की ऑटोमन साम्राज्य और इस्लामिक खलीफावाद का पोषक बन कर उभरा है। यह भारत ही नहीं दुनिया के लिए खतरनाक है। यह इस्लामिक साम्राज्यवाद को प्रश्रय देने लगा है। इसलिए इस देश को संदेह की दृष्टि से देखा जाना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि तुर्की हमारे पड़ोसी और पारंपरिक दुश्मन देश पाकिस्तान का पक्ष लेता रहा है। साथ ही तुर्की, पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित एक खास प्रकार के इस्लामिक आतंकवाद का भी हिमायती रहा है।

बीआईपी सोशल मीडिया मंच यानी मैसेजिंग ऐप के तुर्की में अपनी उत्पत्ति के कारण इस ऐप्प ने दुनिया के मुसलमानों के बीच व्यापक लोकप्रियता हासिल की है। बीआईपी ऐप हर गुजरते दिन के साथ अपना यूजर बेस बढ़ा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति और रक्षा मंत्रालय सहित तुर्की के शीर्ष संस्थानों ने अपने व्हाट्सएप समूहों को बीआईपी में स्थानांतरित कर दिया है। गूगल प्ले स्टोर में बीआईपी अब बांग्लादेश, बहरीन, पाकिस्तान, कतर, ओमान और सऊदी अरब आदि जैसे मुस्लिम देशों में पहले स्थान पर है। आंकड़े के मुताबिक इसे कुछ दिन पहले तक कुल 65 मिलियन बार डाउनलोड किया गया है।

किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले हर मुसलमान को बीआईपी के दो पहलुओं का विश्लेषण करना चाहिए। पहला और महत्वपूर्ण बिंदु ऐप पर एक अग्रणी तुर्की मोबाइल ऑपरेटर का नियंत्रण है तथा दूसरा राष्ट्रपति सहित तुर्की प्रशासन का व्हाट्सएप से बीआईपी की ओर सामूहिक प्रवास का होना है। ऐप के बारे में उपलब्ध सूक्षम विवरण से पता चलता है कि तुर्की सरकार ऐप के कामकाज पर पिछले दरवाजे से नियंत्रण रखता है। यह प्रत्येक भारतीय, विशेष रूप से मुसलमानों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अगर कोई विदेशी सरकार किसी विशेष ऐप को चलाने में शामिल है तो यह निजता और सुरक्षा दोनों के लिए खतरनाक है।

यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति खुद को मुसलमानों के सर्वोत्तम नेता के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं और इस्लामिक खलीफा को वापस लाने की अपनी छिपी इच्छा का पोषण करते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए की आतंकवादी समूह आईएसआईएस द्वारा इस्लामिक स्टेट की स्थापना के प्रयास के परिणामस्वरूप बहुत अधिक रक्तपात और असंख्य मुस्लिम जीवन का नुकसान पहले हो चूका है। खिलाफत अंततोगत्वा मुसलामनों के लिए ही खतरा पैदा करेगा। खिलाफत राष्ट्र की सीमा को नहीं मानता है। तुर्की लंबे समय तक ऑटोमन साम्राज्य का नेतृत्व किया है। इसलिए उसे यह अच्छा लगता है लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुर्की ने ही सउदी नेता की सरेआम गला रेट कर हत्या करवाई थी। तुर्की ऐसा फिर से कर सकता है। इसलिए जो देश अन्य देश की सीमा का आदर नहीं करे वह दुनिया की शांति के लिए खतरनाक है।

ऐसा ऐप जिसकी गोपनीयता और स्वामित्व पर वैश्विक विवरणों को स्पष्ट किया जाना अभी बाकी है, निश्चित रूप से हमें इसके इस्तेमाल पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए क्योकि ऐप के विकास के पीछे कई निहित स्वार्थ हो सकते हैं। एप्लिकेशन के स्वामी अपने स्वयं के लाभों तथा शोषण के लिए उपयोगकर्ताओं को इस्तेमाल कर सकते है। परिणाम भले कुछ भी हो परन्तु उपयोगकर्ता को इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा।

भारतीय मुस्लिमों को बीआईपी ऐप के संजाल से बचना चाहिए। भारतीय मुस्लिम उपयोगकर्ताओं के डेटा को कभी भी आम किया जा सकता है, जो उन्हें भारी परेशानी में डाल सकता है। ऐसी संभावनाएं हैं कि उनके डेटा का उपयोग चरमपंथी संगठन द्वारा किया जा सकता है जो अंततः उन्हें भारतीय खुफिया एजेंसियों व कानून प्रवर्तन एजेंसियों के रडार पर ला सकता है। आगे चलकर बैंक गतिविधियों, अपराधियों द्वारा जबरन वसूली और धोखाधड़ी का शिकार बना सकता है।

इसलिए बीआईपी ऐप से सावधान रहना जरूरी है। जैसा कि हमने पहले बताया है, व्हाट्सऐप कुछ डेटाओं को बेच रहा है। यह खतरनाक है। हालांकि व्हाट्सएप का अपना वैश्विक प्रबंधन है। दुनिया में यह प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है। साथ ही कई देशों की सरकार और कानून ने इसको मान्यता प्रदान कर दिया है लेकिन बीआईपी के साथ ऐसी बात नहीं है। भारत ने इस ऐप की मान्यता प्रदान नहीं की है। इसलिए इससे बचना ही बेहतर होगा।

मुख्यमंत्री ने जिला सुशासन सूचकांक की वार्षिक रिपोर्ट-2022 जारी की

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आर्थिकी और सांख्यिकी विभाग द्वारा तैयार हिमाचल प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक पर वार्षिक रिपोर्ट – 2022 जारी की। इस रिपोर्ट में आठ मूल विषय, 19 केन्द्र बिन्दु तथा 90 विशिष्ट कारक शामिल किए गए हैं।

इस अवसर पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लोगों के कल्याण के लिए सुशासन के साथ पारदर्शी व जवाबदेह सरकार अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और शासन की मूल इकाई जिला है। जिलों के प्रदर्शन को नागरिक कल्याण की योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा समावेशी विकास के लिए विभिन्न महत्त्वपूर्ण सुशासन संकेतकों पर मापा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति और आगामी चुनौतियों के दृष्टिगत राज्य में विकास के प्रतिमानों में बदलाव की आवश्यकता है। हिमाचल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली व जल आपूर्ति सहित विविध क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न विकास संकेतकों पर कई अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है और समावेशी तथा समग्र विकास के आदर्श राज्य के रूप में उभरा है।

जिला सुशासन सूचकांक की चौथी रिपोर्ट 12 जिलों के माध्यमिक आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत सभी जिलों के तुलनात्मक आंकलन के लिए सभी आंकड़े एकत्रित किए गए। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशासन की गुणवत्ता मापने का कार्य शुरू किया है।

जिला सुशासन सूचकांक – 2022 में आठ मूल विषय आवश्यक बुनियादी ढांचा, मानव विकास, सामाजिक संरक्षण, महिलाएं एवं बच्चे, अपराध, कानून एवं व्यवस्था, पर्यावरण, पारदर्शिता और जवाबदेही और आर्थिक प्रदर्शन शामिल

हैं। दूसरे स्तर पर 19 केंद्र बिन्दु रखे गए हैं, जिनमें से प्रत्येक विषय के अन्तर्गत बिजली, पानी, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक वितरण योजना, सामाजिक न्याय, रोजगार, बच्चों और महिलाओं से संबंधित विषय, हिंसक अपराध, कानून एवं व्यवस्था, अत्याचार, पर्यावरण उल्लंघन, वन क्षेत्र, पारदर्शिता और दायित्व, अर्थव्यवस्था में कृषि और संबध क्षेत्र तथा वाणिज्य और उद्योग के रूप में योगदान से संबंधित मामले शामिल हैं। तीसरे स्तर पर 90 विशिष्ट कारकों के आधार पर जिलों में उपलब्ध आंकड़ों का एकीकरण तथा विश्लेषण किया गया है। जिला स्तर सूचकांकों के त्री-स्तरीय मूल्यांकन के आधार पर सभी 12 जिलों की रैंकिंग की गई है।

वर्ष – 2022 की रैंकिंग के अनुसार, जिला कांगड़ा ने 50 लाख रुपये का प्रथम पुरस्कार, जिला हमीरपुर 35 लाख रुपये का द्वितीय पुरस्कार और जिला लाहौल-स्पीति ने 25 लाख रुपये का तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कांगड़ा के उपायुक्त डा. निपुण जिंदल, हमीरपुर के उपायुक्त हेमराज बैरवा और लाहौल-स्पीति के उपायुक्त राहुल कुमार को यह पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि जिला सुशासन सूचकांक तत्काल सुधार के लिए मजबूत और कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक है और जिलों की रैंकिंग को मापता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के मूल्यांकन मापदंड पिछले वर्षों से काफी भिन्न हैं, क्योंकि इनमें जनजातीय जिलों को भी समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता स्वीकार की गई है।

प्रधान सचिव, वित्त मनीष गर्ग ने कहा कि इस वर्ष की रिपोर्ट में जिलों और संबंधित विभागों को विशिष्ट संकेतकों में सुधार के लिए एक रोडमैप तैयार करने में सक्षम बनाया जाएगा।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सचिव वित्त डा. अभिषेक जैन, आर्थिक सलाहकार डा. विनोद कुमार, विभिन्न जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।

पंचायतों में सुचारू कार्यों के लिए पंचायती राज विभाग ने शुरू की वैकल्पिक व्यवस्था

शिमला। पंचायती राज विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश भर में पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं। कुछ कर्मचारी वर्गों के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए विभाग सभी आवश्यक कदम उठा रहा है।

उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर मनरेगा सहित अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्य व लोगों के प्रमाण-पत्र इत्यादि से संबंधित दैनिक कार्य किए जाते हैं। वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर लोगों की सुविधा के दृष्टिगत पंचायत सचिवों का कार्यभार ग्राम रोजगार सेवकों, सिलाई अध्यापिकाओं तथा पंचायत चौकीदारों को अस्थाई तौर पर सौंपा गया है। कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें वित्तीय शक्तियां भी प्रदान की गई हैं।

इस वैकल्पिक व्यवस्था से प्रमाण-पत्रों सहित पंचायत के अन्य सामान्य कामकाज बहाल करने में सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि तकनीकी कर्मचारियों के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण मनरेगा के अन्तर्गत श्रमिकों की दिहाड़ी सहित किए गए कार्यों के मूल्यांकन में कठिनाइयां आ रही हैं। प्रदेश में हाल ही में बरसात के कारण हुई भारी तबाही तथा आपदा के कारण ग्रामीण स्तर पर निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज जारी किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रभावित परिवारों के घरों एवं गौशालाओं इत्यादि का पुनर्निर्माण, कृषि व बागवानी भूमि के संरक्षण सहित अन्य राहत व पुनर्वास कार्य किए जाने हैं। लेकिन, तकनीकी कर्मियों की अनुपस्थिति से यह कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि इसके दृष्टिगत विभाग ने अब जिला परिषद के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से विकासात्मक एवं आपदा राहत कार्यों में हो रहे विलम्ब के दृष्टिगत अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित कर्मचारियों सहित सेवाओं से संबंधित अन्य बिन्दुओं पर ब्यौरा मांगा है। यह ब्यौरा निदेशालय को 18 अक्तूबर, 2023 तक भेजा जाना अपेक्षित है।

उन्होंने कहा कि आपदा राहत एवं पुनर्वास कार्यों में अनावश्यक देरी न हो तथा प्रभावित परिवारों को सभी तरह की सहायता व अन्य लाभ समय पर सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज विभाग कृतसंकल्प है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार सभी वैकल्पिक प्रबंध भी किए जा रहे हैं।

हिमाचल में मसाला फसलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला में 150 से अधिक किसान हुए शामिल

शिमला। हिमाचल प्रदेश में मसाला फसलों और सुगंधित पौधों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में शुरू हुई। यह कार्यशाला मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर परियोजना की 'हिमाचल प्रदेश में मसाला फसलों का लोकप्रियकरण' के तहत विश्वविद्यालय के बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कर रहा है। इस दो दिवसीय कार्यशाला में राज्य के सभी 12 जिलों के 150 से अधिक किसान भाग ले रहे हैं। इस परियोजना को भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सुपारी और मसाला विकास निदेशालय द्वारा वित्त पोषित किया गया है।

प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. नरेंद्र भारत ने बताया कि यह परियोजना राज्य में 2015 – 16 से चल रही है। अब तक 30 से अधिक पंचायत स्तरीय, चार जिला स्तरीय और 1 राज्य स्तरीय किसान सेमिनार आयोजित किए जा चुके हैं जिसमें 3000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष अदरक, लहसुन, हल्दी, धनिया, मेथी, जंगली गेंदा, तुलसी आदि की 7 क्विंटल से अधिक रोपण सामग्री की आपूर्ति की जा रही है।

इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से मसाला फसलों की खेती के तरफ किसानों का रुझान बढ़ा है। केवल सिरमौर जिले में ही लहसुन फसल उत्पादन का क्षेत्र 1600 हेक्टेयर (2015 – 16) से बढ़कर 4000 हेक्टेयर (2022 – 23) हो गया है। इस अवधि के दौरान उत्पादन 26500 से बढ़कर 60650 मीट्रिक टन तक पहुँच गया है और 5360 से अधिक सीमांत और छोटे किसान अपनी आय के लिए पूरी तरह से लहसुन पर निर्भर हैं। विश्वविद्यालय एवं लाइन विभाग द्वारा नवीनतम तकनीक एवं ज्ञान के प्रसार से यह संभव हुआ है।

प्रोफेसर चंदेल ने कहा कि दुनिया अब भारतीय भोजन और भारतीय मसालों की ओर आकर्षित हो रही है और उनके स्वास्थ्य लाभ इसका एक बहुत बड़ा कारण हैं। उन्होंने कहा कि यह देखकर बहुत खुशी होती है कि हिमाचल प्रदेश में मसालों की खेती बढ़ रही है और यहाँ पर उगाये जा रही मसाला फसलों की मांग देश भर में हैं, विशेषकर दक्षिणी भारत में खरीदार अपने आप यहाँ आ रहें हैं। विभिन्न मसालों के तहत क्षेत्र बढ़ाने पर बोलते हुए उन्होंने किसानों से अपनी जलवायु परिस्थितियों के अनुसार 2 – 3 मसाला फसलों की खेती करने का आग्रह किया। उन्होंने किसानों के समूहों को मसाला एवं सुगन्धित फसलों पर आधारित किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया जो बाजार में उनकी उत्पाद की अच्छी कीमत दिलाने में मदद कर सकता हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय इन एफपीसी को मूल्य संवर्धन और ब्रांडिंग में भी मदद कर सकता है जो न केवल बाज़ार में मांग से अधिक मात्रा में उत्पाद पहुँचने के दौरान मदद करेगा बल्कि किसानों की आय को भी बढ़ाएगा।

प्रोफेसर चंदेल ने युवाओं को समूह बनाने और सामूहिक रूप से जंगली गेंदा जैसे सुगंधित पौधों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। इन फसलों से कटाई के बाद अत्यधिक लाभकारी तेल निकाला जा सकता है। उन्होंने ऐसे किसान समूहों को विश्वविद्यालय की ओर से तकनीकी सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने किसानों से यह भी कहा कि वे विश्वविद्यालय के साथ मसालों और सुगंधित पौधों की नई किस्मों के बीजों के बड़े पैमाने पर प्रसार में विश्वविद्यालय का समर्थन करें ताकि इन्हें अन्य किसानों को भी उपलब्ध करवाया जा सके। प्राकृतिक खेती के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय फलों के साथ विभिन्न मसाला फसलों और सुगंधित पौधों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्राकृतिक खेती मॉडल स्थापित करेगा।

इससे पहले विस्तार शिक्षा निदेशक डॉ इंद्र देव ने विश्वविद्यालय की विभिन्न विस्तार गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत मसालों की एक विस्तृत श्रृंखला का एक स्थापित उत्पादक है और विश्व मसाला उत्पादन में एक प्रमुख स्थान रखता है लेकिन इस क्षेत्र में सुधार की व्यापक गुंजाइश है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे मसाले हर भारतीय घर का अभिन्न अंग हैं।

कार्यशाला के दौरान, मसाला फसलों की उत्पादन तकनीक, बीज उत्पादन और मूल्य संवर्धन, पौध संरक्षण और किसान-वैज्ञानिक बातचीत पर कई तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में अनुसंधान निदेशक डॉ. संजीव चौहान, बागवानी महाविद्यालय के डीन डॉ. मनीष शर्मा, सभी विभागाध्यक्ष, बीज विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक और कृषि विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

CAPSI का सरकार से निजी सुरक्षा कर्मियों को 'पैरा पुलिस' में अपग्रेड करने का आग्रह

शिमला। सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री (CAPSI) ने केंद्र सरकार से सुरक्षा कौशल और अंतरराष्ट्रीय मानकों का ज्ञान प्रदान करके निजी सुरक्षा कर्मियों की भूमिका को 'पैरा पुलिस' का दर्जा देने का आग्रह किया है। CAPSI के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर विक्रम सिंह ने कहा कि 'भारत में मानव और कॉर्पोरेट संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक

करोड़ से अधिक निजी सुरक्षा पेशेवर कार्यरत हैं। हम विश्व में सबसे बड़े निजी सुरक्षा कार्यबल हैं। अब समय आ गया है कि सुरक्षा कौशल और अंतरराष्ट्रीय मानकों का ज्ञान प्रदान करके निजी सुरक्षा की भूमिका को 'पैरा पुलिस' में उन्नत किया जाये। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने पहले ही निजी सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक विकसित कर लिया है। इन उच्च प्रशिक्षित सुरक्षा पेशेवरों को सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक सुरक्षा में नई भूमिका दी जा सकती है। सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय को निजी सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों को पैरा पुलिस कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए प्रशिक्षित करके 'पैरा पुलिस' का दर्जा देने पर विचार करना चाहिए, जिससे देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपलब्ध समग्र सुरक्षा कर्मियों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि इससे मजबूत और अधिक गोचर सुरक्षाकर्मियों की उपस्थिति होगी, जिससे समाज में सुरक्षा की भावना पैदा होगी।

भारत के लिए एक नई 'राष्ट्रीय सुरक्षा संस्कृति' अपनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सिंह ने कहा कि 'अनुसंधान में निवेश, हमारे बुनियादी ढांचे को उन्नत, समावेशी संवाद और सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देकर निजी सुरक्षा उद्योग को कानून व्यवस्था के लिए सुदृढ़ किया जा सकता है। इससे उभरते खतरों को सक्रियता से निपटा जा सकता है। साथ ही, देश व देशवासियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। अभी सही समय है कि किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौतियों से बचाव के साथ-साथ वैश्विक शांति व स्थिरता में सकारात्मक योगदान देने के लिए हमारे देश में एक मजबूत 'सार्वजनिक- निजी' भागीदारी बनाई जाये।

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियमों को संशोधित करने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग की वन मित्र योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के तहत 2061 वन बीटों में एक-एक वन मित्र लगाए जाएंगे ताकि जमीनी

स्तर के सस्थानों को शामिल करके वन क्षेत्रों के संरक्षण और विकास के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

मंत्रिमंडल ने वन विभाग में वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को अनुबंध आधार पर भरने को भी मंजूरी प्रदान की।

बैठक में जल शक्ति विभाग के जल रक्षकों, बहु उद्देशीय कार्यकर्ताओं, पैरा फिटर और पैरा पम्प ऑपरेटर के मानदेय को 500 रुपये मासिक बढ़ाकर क्रमश: 5000 रुपये, 4400 रुपये, 6000 रुपये और 6000 रुपये करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने ऊना जिला में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत 76.50 करोड़ रुपये की लागत से पीपीपी मोड में बाबा माई दास भवन पार्किंग चिन्तपूर्णी से मंदिर तक यात्री रोपवे प्रणाली स्थापित करने को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग में 15 ई-टैक्सियां किराए पर लेने को मंजूरी पदान की।

बैठक में राज्य के सभी जिलों में आपात स्थिति के दौरान वैकल्पिक संचार के लिए एमेच्योर और सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। इससे सूचना स्रोतों, आपातकालीन प्रबन्धकों और आपदा या आपातकालीन स्थितियों से प्रभावित लोगों के बीच प्रभावी सूचना आदान-प्रदान सुनिश्चित होगा।

बैठक में सीसे लैड पर अतिरिक्त माल कर 25 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से कम करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने प्रदेश में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा के लिए राज्य में निजी संचालकों के लिए 234 रूट और टैम्पो ट्रेवलर्ज के 100 अतिरिक्त रूट प्रदान करने का निर्णय लिया।

बैठक में परिवहन विभाग के यातायात निरीक्षकों, मोटर वाहन निरीक्षकों, वरिष्ठ मोटर वाहन निरीक्षकों तथा पुलिस विभाग के सहायक उप-निरीक्षकों व हैड कांस्टेबल को मोटर वाहन अधिनियम-1988 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों को कम करने के लिए नामित प्राधिकारी घोषित करने की भी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने आपदा के कारण बेघर हुए लोगों और जिन लोगों के पास नया घर बनाने के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है उन्हें शहरी क्षेत्र में दो बिस्वा भूमि और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिस्वा भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 30 सितम्बर, 2023 को घोषित विशेष राहत पैकेज को मंजूरी प्रदान की। इस विशेष पैकेज के तहत घर के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले 1.30 लाख रुपये के मुआवजे को साढ़े पांच गुणा बढ़ाकर सात लाख रुपये किया गया है। इसके अलावा कच्चे मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को 25 गुणा बढ़ाकर 4000 रुपये से एक लाख रुपये तथा पक्के घर के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को साढ़े 15 गुणा बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है।

दुकान तथा ढाबा के क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को 25000 रुपये से चार गुणा बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। प्रदेश सरकार गऊशाला को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 3000 रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। प्रदेश सरकार किराएदारों के सामान के नुकसान के लिए दी जाने वाली 2500 रुपये की राशि को 20 गुणा बढ़ाकर 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। दुधारू तथा भार उठाने वाले पशुओं की क्षति पर 55 हजार जबकि बकरी, सुअर, भेड़ तथा मेमने की मुआवजा राशि 6000 रुपये प्रति पशु की दर से प्रदान की जाएगी।

कृषि तथा बागवानी भूमि के नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि मुआवजा राशि को 3615 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया है। फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 500 रुपये प्रति बीघा को आठ गुणा बढ़ाकर 4000 रुपये किया गया है। कृषि तथा बागवानी भूमि से सिल्ट हटाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 1384.61 प्रति बीघा से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया है। यह विशेष पैकेज 24 जून, 2023 से 30 सितम्बर, 2023 तक प्रदान किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने शिमला विकास योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया। सड़क से ऊपर स्थित ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में नवबहार से रामचन्द्रा चौक से मछीवाली कोठी से क्राइस्ट चर्च से लक्कड़ बाजार से आईजीएमसी से संजौली चौक से नवबहार तक जहां पेड़ नहीं हैं वहीं निर्माण की अनुमति दी जाएगी। शिमला विकास योजना के तहत ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में सिर्फ उन्हीं प्लाटों पर आवासीय निर्माण को अनुमति प्रदान की जाएगी जहां पेड़ नहीं हैं। मंत्रिमंडल ने नाला और खड्ड से क्रमश: पांच और सात मीटर की दूरी पर निर्माण को अनुमति देने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियमों को संशोधित करने का निर्णय लिया।

हिमाचल में पहली बार एफडीआर तकनीक से बनेंगी सड़कें:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में पहली बार सड़कों का निर्माण फुल डेप्थ रेक्लेमेशन (एफडीआर) तकनीक पर किया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा पर आयोजित एक बैठक में दी।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाली सड़कों में इस तकनीक का उपयोग करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए और कहा कि शुरूआती चरण में विभिन्न जिलों में 666 किमी सड़कों का निर्माण इस तकनीक से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार व असम के बाद हिमाचल प्रदेश एफडीआर तकनीक का इस्तेमाल कर सड़क निर्माण करने वाला देश का चौथा राज्य बनने जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तकनीक से सड़कें ज्यादा टिकाऊ बनती हैं और वाहनों के लिए भी यह सड़कें बेहतर हैं। साथ ही इसकी लागत भी कम है और यह तकनीक पारिस्थिकी के अनुकूल (इको फ्रेंडली) भी है। इस तकनीक में सड़क की सतह से सामग्री का उपयोग कर इसमें सीमेंट और एडिटिव को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है, जिससे सड़कों का निर्माण किया जाता है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए सड़क संपर्क को मजबूत करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है। आने वाले समय में करीब 2682 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें से 666 किमी सड़कें एफडीआर तकनीक, 556 किमी सड़कें सीमेंट स्टेबलाइजेशन तथा 1460 किमी सड़कों का निर्माण परम्परागत तरीके से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पर लगभग 2683 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश में सड़कें लोगों की जीवन रेखा कही जाती हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा इन सड़कों का निर्माण कार्य समयबद्ध पूरा करने के भी निर्देश दिए, ताकि लोगों को सड़क सुविधा का लाभ समय पर मिल सके।

इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, प्रधान सचिव, लोक निर्माण विभाग भरत खेड़ा, प्रमुख अभियंता अजय कुमार गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

उप-मुख्यमंत्री ने निजी बस ऑपरेटर्ज के साथ बैठक की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर्ज़ के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। सरकार प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर्ज़ के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय

ले रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में निजी बस संचालकों के लिए 234 रूट और टैम्पो ट्रैवलर्ज़ के लिए 100 से अधिक नए रूट संचालित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण हितैषी सतत् विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए राज्य में निजी एवं सरकारी क्षेत्रों के सहयोग से ई-वाहनों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ई-बसों, ई-ट्रकों और ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है। उन्होंने सरकार की इस मुहिम में निजी बस ऑपरेटरों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आहवान भी किया। सरकार द्वारा 26 मार्गों पर ई-बसों से संचालन की अनुमति शीघ्र प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन बसों के लिए चार्जिंग सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी बस ऑपरेटर्ज़ की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में नियमों के अनुरूप रूट परमिट दिए जायेंगे और टैक्सियों के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा रूट परमिट जारी किए जायेंगे। आरटीओ स्तर पर स्थानीय निजी बस ऑपरेटर्ज़ के साथ नियमित तौर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में अनाधिकृत रूप से गाड़ियों के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए ताकि इससे प्रदेश के राजस्व को होने वाली हानि को रोका जा सके।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के राजस्व में वृद्धि करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है और परिवहन विभाग द्वारा वीआईपी नम्बरों की बिक्री से छह करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ है और भविष्य में इसमें बढ़ोतरी होने की सम्भावना है।

प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर्ज़ के अध्यक्ष राजेश पराशर ने इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री को सम्मानित किया।

इस अवसर पर प्रधान सचिव परिवहन आर.डी. नजीम, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप, प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर्ज़ के प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने की उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में तीन वर्षों बाद आयोजित प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप परियोजनाओं की समीक्षा कर इनके कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना, ई-चार्जिंग स्टेशन, राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों सहित अन्य प्रमुख योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली। उन्होंने उपायुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों को अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन से निगरानी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न स्थानों पर नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाने पर भी बल दिया। साथ ही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस, राज्य कर एवं आबकारी तथा वन विभाग के कर्मचारियों की एकीकृत चौकियां स्थापित करने के निर्देश दिए।

सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों ने अपने जिलों से सम्बन्धित विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के बारे में प्रस्तुति दी और सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि युवा अधिकारी नए विचार

राज्य सरकार के समक्ष रखें और सरकार अपने कार्यक्रमों एवं नीतियों में इन विचारों को शामिल करेगी। उन्होंने कहा कि एक अच्छी सरकार के लिए अच्छे प्रशासन का होना आवश्यक है और निडरता, लक्ष्य निर्धारण और लगन के साथ काम करना ही प्रशासनिक क्षमताओं का परिचायक है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन समुचित प्रबन्धन पर भी ध्यान दे और अपने-अपने जिलों में ई-ऑफिस लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्त कार्यालय, एसडीएम ऑफिस के साथ ई-ऑफिस प्रणाली के साथ जोड़ें जाएं और सभी कार्यों का निपटारा ई-फाइल पर करना सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा ने सम्मेलन में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वागत किया।

इस सम्मेलन में प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों ने भी भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने जनजातीय सलाहकार परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का निपटारा करने को विशेष प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि परिषद की बैठकों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों की समस्याएं राज्य सरकार के ध्यान में आती हैं, इसलिए ऐसी बैठकों का आयोजन निरंतर किया जाएगा ताकि वहां के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप योजनाएं बनाई जा सकें। राज्य सरकार अगले शैक्षणिक सत्र से लाहौल-स्पीति जिला के स्कूलों की विंटर क्लोजिंग पर विचार करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है और इसके लिए धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा के दोहन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि किन्नौर की हंगरंग घाटी में दो सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। राज्य सरकार ने 250 किलोवाट से 2 मैगावाट तक की सौर परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए युवाओं को 40 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया है तथा जनजातीय क्षेत्र के युवाओं को सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इन सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की आगामी 25 वर्षों तक खरीद करेगी, ताकि युवाओं के लिए एक स्थिर आय का स्रोत सुनिश्चित किया जा सके।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लाहौल-स्पिति में पवन ऊर्जा के दोहन के लिए 84 मेगावाट क्षमता को चिन्हित किया गया है तथा इसके दोहन के लिए नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ विंड एनर्जी के साथ मामला उठाया गया है और इस संबंध में शीघ्र ही संस्थान की एक टीम काजा का दौरा करेगी।

उन्होंने कहा कि बदलते समय के अनुसार राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं को अधिक अधिकार देने पर भी विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिए सुरंगों

के निर्माण पर बल देने के निर्देश दिए। उन्होंने जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभागों को गहन अध्ययन करने के निर्देश दिए ताकि राज्य सरकार, सरकारी संस्थानों को और सुदृढ़ कर सके।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन का आधारभूत ढांचा भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि पर्यटक यहां की प्राकृतिक सुंदरता को निहार सकें। उन्होंने कहा कि किन्नौर के कड़छम में निर्मित कृत्रिम झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू करने के लिए ट्रायल करवाया गया है और जल्द ही यहां पर शीघ्र ही जल क्रीड़ाएं शुरू की जाएंगीं ताकि स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिल सकें। इसके साथ ही जिला किन्नौर में धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तेमसो झील में भी पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-5 से झील को संपर्क मार्ग से जोड़ने पर विचार किया जाएगा, ताकि यहां पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। इसके साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में हेलीपोर्ट का निर्माण भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों को जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर परियोजनाएं बनाकर उन्हें समयबद्ध धरातल पर उतारने के निर्देश दिए और कहा कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है।

राजस्व एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि नई परिषद का गठन मई 2023 में किया गया था, लेकिन प्रदेश में भारी बारिश से आई आपदा के कारण इस बैठक के आयोजन में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जनजातीय क्षत्रों का दौरा कर वहां की समस्याओं एवं प्राथमिकताओं को समझा है। उन्होंने कहा कि जनजातीय सलाहकार परिषद को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और बैठक में इन क्षेत्रों की ज्वलंत समस्याओं का उठाया जाता है तथा राज्य सरकार द्वारा उस पर कार्यवाही की जाती है। उन्होंने कहा कि जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठकें नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने जनजातीय सलाहकार परिषद के सभी मनोनीत सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई। बैठक के दौरान सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं से अवगत करवाया, जिन पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में विधायक रवि ठाकुर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष और परिषद के सदस्य भी उपस्थित थे।

30 अक्तूबर को प्रदेशभर में आयोजित होगी मुटेशन अदालत

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित 'मडे मीटिंग' की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 अक्तूबर, 2023 को पूरे प्रदेश में मुटेशन (इंतकाल) अदालत आयोजित की जाएगी। इसके तहत सभी तहसील व उप-तहसील तथा बंदोबस्त सर्कल स्तर पर केवल लम्बित मुटेशन सत्यापन के मामलों पर निपटरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 22000 से अधिक ऐसे मामले लम्बित पड़े हैं। मुटेशन अदालत से आम आदमी को सुविधा के साथ ही उन्हें मूटेशन के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों में जाने से भी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुटेशन की प्रक्रिया समयबद्ध पूरी न होने के कारण लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इससे विकास कार्यो की प्रगति भी प्रभावित होती है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ सरकार हर क्षेत्र में सार्थक और सकारात्मक कदम उठा रही है। उन्होंने अधिकारियों को मुटेशन अदालत के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नये पाठयक्रम आरम्भ किये जाएंगे। यह पाठयक्रम रोजगारपरक और नवीन प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे। इनमें कृत्रिम मेधा का समावेश भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शैक्षणिक पाठयक्रमों को गुणात्मक एवं व्यवहार्य बनाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। इससे युवाओं में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा की क्षमता बढ़ेगी, साथ ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

उन्होंने अधिकारियों को हिमाचल मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 से संबंधित आवेदन की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से ही पूर्ण करने के निर्देश दिए। इससे कार्य समयबद्ध होंगे और इनमें दक्षता भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के 1500 बसों के बेड़े को चरणबद्ध तरीके से विद्युत चालित वाहनों से बदला जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में यू.वी. फिल्टरेशन यूनिट स्थापित करने के लिए स्थल चयनित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल उपचार के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा।

बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग, विभिन्न विभागों के सचिव और मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा भी उपस्थित थे।

उप-मुख्यमंत्री से विभिन्न राज्यों के ऑल इण्डिया परमिट होल्डर ऑपरेटर्ज़ ने भेंट की

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से विभिन्न राज्यों के ऑल इण्डिया परमिट होल्डर आपरेटर्ज़ ने भेंट कर उन्हें अपनी मांगों से अवगत करवाया। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल एक पर्यटन राज्य है और प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में भारी संख्या में पर्यटक निजी वाहनों व टैक्सियों के माध्यम से आते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन आधारित गतिविधियों और कारोबारियों को किसी प्रकार की हानि न उठानी पड़े, इसके दृष्टिगत बाहरी राज्यों से आने वाली टैक्सियों और बड़ी गाड़ियों के लिए टैक्स प्रणाली में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से अवैध तरीकों से आने वाली टैक्सियों और बड़ी गाड़ियों पर अंकुश लगाया जाएगा

क्योंकि इससे प्रदेश के राजस्व की हानि होती है। प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए जन हितैषी निर्णय लिए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधान सचिव परिवहन आर.डी. नजीम, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप, टैक्सी आपरेटर्ज़ के प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राज्य सरकार भवन निर्माण से पूर्व नींव के स्तर पर अनिवार्य जांच का प्रावधान करने पर कर रही विचार

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि लगभग चार दशकों से अधिक के लंबे इंतजार के बाद नगर एवं ग्राम योजना विभाग द्वारा शिमला के लिए विकास योजना तैयार की गई है ताकि शिमला और इसके आसपास के उप नगरीय क्षेत्रों का विनियमित और योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जा सके।

यह विकास योजना शिमला की आदर्श पर्यटन गंतव्य क्षमता, जीवंत वातावरण , प्राकृतिक पारिस्थितिकी तथा वर्ष 2041 तक भविष्य की जनसंख्या के साथ-साथ अस्थायी आबादी को समायोजित करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार की उप-योजना अम्रुत के तहत तैयार की गई है।

प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए कृतसंकल्प है और इस दिशा में अनेक महत्त्वाकांक्षी कदम उठाए जा रहे हैं। वर्तमान राज्य सरकार सम्पूर्ण प्रदेश और शिमला योजना क्षेत्र के हरित आवरण के संरक्षण और यहां की पारिस्थितिकी के दृष्टिगत सतत् विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है। प्रदेश सरकार शिमला में नवबहार से रामचन्द्र चौक से मच्छीवाली कोठी से क्राइस्ट चर्च से लक्कड़ बाजार से आईजीएमसी से संजौली चौक से नवबहार तक सड़क से घिरे ग्रीन बेल्ट क्षेत्र कड़े नियमों और नियंत्रित ढंग से सीमित निर्माण को अनुमति देने पर विचार कर रही है। इसके दृष्टिगत ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में स्थित किसी भी ग्रीन प्लॉट में यदि एक भी जीवित या सूखा पेड़ खड़ा होगा तो उस प्लाट पर निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रावधान शिमला शहर की समृद्ध पारिस्थितिकी और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण में दूरगामी भूमिका निभाएगा।

राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस मानसून के दौरान हुई भारी बारिश और उसके बाद आई आपदा को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अत्यधिक वर्षा जल की तत्काल निकासी के लिए सभी शहरी केन्द्रों और ग्रामीण नगरों के लिए चरणबद्ध तरीके से एक प्रभावी एवं कुशल जल निकासी मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।

सरकार ने शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ योजना और विशेष क्षेत्रों में सभी भवनों के लिए नींव स्तर पर निरीक्षण का अनिवार्य प्रावधान करने का भी प्रस्ताव कर रही है। इसके अलावा, उच्च जोखिम वाली इमारतों, विशेष रूप से आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, रियल एस्टेट परियोजनाओं और संस्थागत परियोजनाओं के लिए, अनुमोदन के समय भूवैज्ञानिक जांच रिपोर्ट के साथ-साथ बीआईएस कोड के अनुसार विस्तृत संरचनात्मक डिजाइन रिपोर्ट को अनिवार्य बनाया जा रहा है। ये आवश्यक प्रावधान सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को भविष्य में किसी भी प्रकार की आपदा से बचाव में महत्त्वपूर्ण सिद्ध होंगे।

लोक निर्माण मंत्री ने विभाग के हमीरपुर क्षेत्र के कार्यों की समीक्षा की

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा लोक निर्माण विभाग हमीरपुर क्षेत्र में विभाग के विभिन्न कार्यो और विकासात्मक गतिविधियों की समीक्षा की।

उन्होंने अधिकारियों को सभी योजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने तथा कार्यो में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए तथा अन्य निर्माण परियोजनाओं को भी तत्परता के साथ पूर्ण किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से अपने दायित्व निष्ठा से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यो की मदवार समीक्षा भी की।

बैठक में मुख्य अभियन्ता हमीरपुर क्षेत्र तथा इस क्षेत्र के सभी अधीक्षण व अधिषाशी अभियन्ता उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या सुक्खु सरकार पत्रकारों का गोदीकरण करना चाहती है

- क्या संशोधनों को बैक डेट से लागू किया जा सकता है?
- क्या विज्ञापन बन्द करना समाचार पत्र को बन्द करवाने का प्रयास है?

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार ने पत्रकारों को मिले सरकारी आवासों का किराया पांच गुणा से भी अधिक बढ़ा दिया है। किराया बढ़ाने के साथ ही पत्रकारों से उनका आयु प्रमाण पत्र और शिमला में उनका अपना कोई मकान है या नहीं इसकी भी जानकारी मांगी है। इसी के साथ संबंधित समाचार पत्र की प्रदेश में प्रसार संख्या और शैक्षणिक योग्यता का भी संशोधित नियमों में उल्लेख किया है। मैंने पिछले अंक में सम्पादकीय लिखा था जिस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं और सवाल पाठकों की ओर से आये हैं। प्रतिक्रियाएं और सवाल जानने की नीयत से ही यह लेख लिखा गया था। इसलिये उनके प्रति उत्तर के तौर पर यह लेख लिखना आवश्यक समझ रहा हूं। मैं 1974 से शैल का सम्पादन और प्रकाशन लगातार करता आ रहा हूं। एक साप्ताहिक पत्र के लिये आज की भीड़ में अपना स्थान बनाना कितना चुनौती पूर्ण होता है यह मैं जानता हूं। क्योंकि समाचार पत्रों के जगत में एक साप्ताहिक अपने बेबाक विश्लेषण से ही अपना स्थान बना सकता है और बेबाक विश्लेषण सत्ता में बैठे किसी भी राजनेता और बड़े नौकरशाह को अच्छा नहीं लगता है। इसी कारण से सरकारों से टकराव एक सामान्य नीयती बन जाती है क्योंकि अपना भ्रष्टाचार उजागर होता किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिये हर सरकार ऐसे समाचार पत्रों को कुचलने दबाने के लिये सब कुछ करती है। इस कड़ी में सबसे पहला हथियार विज्ञापन बन्द करना और यदि आवास आदि की सुविधा भी मिली हुई है तो उसे भी किसी न किसी बहाने छीनना। क्योंकि हिमाचल में कोई भी राजनेता अपने ही दम पर सत्ता का विरोध आज तक नहीं कर पाया है। इसमें अग्रणी भूमिका अखबारों ने ही निभाई है। हिमाचल में तो भ्रष्टाचार कतई बर्दाशत न करने की घोषणा करके भ्रष्टाचार को संरक्षण देने की भूमिका निभाने में आ गयी है सरकारें। वर्तमान सरकार भी व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का किरदार ही निभा रही है। इसलिये पत्रकार साथियों से यही आग्रह है कि आप अपनी भूमिका स्वयं तय करें। अब सवाल है नियमों की अनुपालना का। 2023 में ही कितने मान्यता प्राप्त पत्रकार है इन्हें किन नियमों के तहत मान्यता दी गई थी? उन नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता कैसे महसूस की गयी? क्या उसके लिये सरकार के किसी अधिकारी ने पत्रकारों से सामूहिक रूप से कोई विचार विमर्श किया? ऐसे विचार विमर्श में समाचार पत्रों के प्रकाशकों से भी विचार विमर्श किया गया? पत्रकारों की योग्यता तय होनी चाहिए। लेकिन क्या यह काम सरकार करेगी या प्रेस परिषद। शायद योग्यता तय करना पत्रकारिता का कोर्स करवाने वाले संस्थाओं और विश्वविद्यालय का है। सरकार अपने यहां सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त करने के लिए तो योग्यता तय कर सकती है लेकिन किसी समाचार पत्र को ऐसा करने के लिए निर्देशित नहीं कर सकती। फिर जिन नियमों में आज संशोधन किया जा रहा है उन्हें पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता यह एक सामान्य नियम है। ऐसे में जब सरकार पूर्व से इन संशोधनों को लागू करने का प्रयास करेगी तो तय है कि कुछ इन लोगों को नियतम दंडित करने की मंशा है। सरकार पत्रकारों को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिये बाध्य कर रही है। अपने यहां व्यापक भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर नियंत्रण पाने की जगह पत्रकारों पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। पत्रकार को सरकारी कर्मचारी बनाने का प्रयास करना गलत होगा। आज पड़ोसी राज्य पत्रकारों को सुविधाएं देते हुये पैन्शन तक दे रहे हैं। लेकिन हिमाचल सरकार उनके विज्ञापन बन्द करने और आवास छीनने का प्रयास कर रही है। यदि सरकार की नीयत साफ होती तो जैसे पहले पत्रकारों को आवासीय कॉलोनी दी गयी है उसी तर्ज पर आज दो-दो बिस्वा जमीन देकर उनको घर बनाने की सुविधा देती जैसे अन्यों के लिए अभी किया है। जिन पत्रकारों के पास अपने घर है उन्हें सरकारी आवास सरकार ने दिये ही क्यों? जो लोग आज सरकार में हैं वह शायद बीस वर्ष पहले भी इसी विधानसभा के सदस्य थे तब उनकी सोच क्या थी? सरकार को समझना होगा कि विज्ञापन बन्द कर देने और सुविधाएं छीनने से आप किसी का लिखना बन्द नहीं कर सकते। वैसे भी यह कहावत है कि शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फैंकते।

दस माह में दस हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है सुक्खु सरकार

- इतना कर्ज लेकर भी समय पर वेतन का भुगतान न हो पाना एक गंभीर विषय है
- बजट अनुमानों के अनुसार सरकार के आये और व्यय में प्रतिमाह तीन सौ करोड़ से कम का अन्तर है
- सेवाओं और वस्तुओं के दाम बढ़ाकर जूटाया गया राजस्व कहां है
- सरकार के प्रबंधन पर गंभीर सवाल है यह स्थिति

शिमला/शैल। सुक्खु सरकार दस माह के कार्यकाल में करीब दस हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है यह खुलासा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के नाम से जारी एक प्रेस नोट में किया गया है। बिंदल का आरोप है कि सरकार हर माह एक हजार करोड़ का कर्ज ले रही है। जबकि यह सरकार 1500 संस्थानों को बन्द कर चुकी है और हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुकी है। बिंदल ने सवाल पूछा है कि जब विकास बन्द संस्थान बन्द है तो फिर इस कर्ज से किया क्या जा रहा है। एचआरटीसी के कर्मचारियों को 15 अक्तूबर तक माह का वेतन नहीं मिला है। यह नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक ब्यान में कहा है। भाजपा की ओर से यह सवाल उठाया गया है कि यदि हर माह एक हजार करोड़ का कर्ज लेना जारी रहा तो 60 माह के कार्यकाल में यह सरकार 60,000 करोड़ का कर्ज ले लेगी। स्मरणीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम सरकार के खिलाफ प्रदेश को कर्ज के चक्रव्यूह में फसाने का आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया गया था। कर्ज का आरोप लगाने के बावजूद कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को दस गारंटीयां जारी की थी। इन गारंटीयों को पूरा करने के लिए कितना खर्च होगा और यह पैसा कहां से आयेगा इसका कोई खुलासा यह सरकार अभी तक जनता के सामने नहीं रख पायी है। पांच वर्षों में पांच लाख नौकरियां देंगे और इसकी शुरुआत इस वर्ष दस हजार नौकरियां देकर कर दी जायेगी यह दावा किया है इस सरकार ने। लेकिन यह दावा पूरा हो पायेगा इसके कोई व्यवहारिक संकेत अभी तक सामने नहीं आये हैं। ऐसे में गारंटीयां पूरी होने पर अभी से संदेह के बादल छाने शुरू हो गये हैं। सरकार द्वारा लिये जा रहे कर्ज के आंकड़े समय-समय पर जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल द्वारा जारी किये जा रहे हैं और सरकार की ओर से एक बार भी इसका जवाब नहीं दिया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एच.आर.टी.सी. की तरह अन्य नियमों/बोर्डों और सरकारी विभागों के कर्मचारियों को भी इसी संकट से गुजरना पड़ेगा। स्वभाविक है कि जब कर्मचारियों को वेतन और पैन्शन का भुगतान ही समय पर नहीं हो पायेगा तो इससे विकास और गारंटीयां पूरी होने के दावे ब्यानों तक ही सीमित रह जायेंगे। वेतन और पैन्शन के भुगतान में हो रही देरी के परिदृश्य में सरकार के बजटीय अनुमानों पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है। वर्ष 2023-24 में 53412.72 करोड़ के कुल खर्च का अनुमान है। इस कुल खर्च के मुकाबले सरकार को राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां के रूप में 49865.58 करोड़ की आय होगी। इसमें सरकार का आय और व्यय में केवल 3547.14 करोड़ का अन्तर रहता है। इस अन्तर को पाटने के लिये सरकार ने हर सेवा और वस्तु के दाम बढ़ाकर संसाधन जुटाने का प्रयास किया है। यदि सरकार का बजट अनुमान सही है तो प्रतिमाह सरकार का खर्च 4451.06 करोड़ और आय 4155.46 करोड़ है। इस तरह आय और व्यय में तीन सौ करोड़ से भी कम का अन्तर रह जाता है। फिर कीमतें बढ़ने से भी तो आये हो रही है। इसलिये इतना कर्ज लेने के बाद भी यदि विकास कार्य अवरुद्ध हो जायें और वेतन तथा पैन्शन का भुगतान भी समय पर न हो पाये तो निश्चित रूप से सरकार के प्रबंधन में कोई भारी कमी है। यह प्रबंधकीय कमी सरकार की राजनीतिक सेहत पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालेगी यह तय है।